

क्रमांक:- 62/24/2016-6जी0एस01

रजिस्ट्रार  
15.6.16  
ज० त्रान्य

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में,

1. सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त, अम्बाला, हिसार, गुडगांव तथा रोहतक मण्डल।
2. सभी उपायुक्त तथा उप-मण्डल अधिकारी (नागरिक) हरियाणा राज्य।
3. रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय तथा सभी जिला सत्र व न्यायाधीश।
4. हरियाणा राज्य के सभी बोर्ड/निगम/समितियां।
5. हरियाणा राज्य के सभी विश्वविद्यालय।

दिनांक: चंडीगढ़ 8 जून, 2016

विषय

सभी सरकारी विभागों में जनता से संबंधित और विभागीय प्रयोग के फार्मों का हिन्दी में होना अनिवार्य करने बारे।

महोदय,

आपका ध्यान उपरोक्त विषय की ओर दिलाते हुए सूचित किया जाता है कि भारत सरकार की नियमावली 1976 के नियम 11 के अनुसार देश भर में केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों, अधिकरणों आयोगों के सभी फार्म हिन्दी में होने अनिवार्य हैं। हिन्दी के अक्षर अंग्रेजी से छोटे नहीं होने चाहिए। हिन्दी के अक्षर अंग्रेजी से पहले अथवा ऊपर होने चाहिए।

2. आपको विदित है कि हरियाणा की राजभाषा हिन्दी है और सरकार के पत्र क्रमांक 12/45/93-6जी0एस01, दिनांक 25.05.1993 तथा 62/37/1998-6जी0एस01, दिनांक 06.10.1999 द्वारा कार्यालयों को हिन्दी में कार्य करने के निर्देश पहले भी जारी किए गए हैं। किन्तु सरकार के ध्यान में लाया गया है कि विभिन्न विभागों, आयोगों, शिक्षण संस्थानों से संबंधित फार्म केवल अंग्रेजी भाषा में हैं, जिसके कारण आम जनता को इन्हें समझने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। सरकार ने मामले पर गम्भीरतापूर्वक विचार करते हुए निर्णय लिया है कि सभी विभाग, आयोग समितियां, शिक्षण संस्थान अपने विभाग से संबंधित सभी फार्मों, आवेदन पत्रों का हिन्दी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में सपष्ट अनुवाद करवाएं एवं अपनी विभागीय website पर रखना सुनिश्चित करें।

3. इन हिदायतों की अवहेलना करने पर दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। अतः आपसे अनुरोध है कि इन हिदायतों की कड़ाई से पालना करवाएं।

पुनर् कुमार  
अधीक्षक, सामान्य सेवायें-1 शाखा,  
कृत मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

एक प्रति हरियाणा सरकार के सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है।

पुनर् कुमार  
अधीक्षक, सामान्य सेवायें-1 शाखा,  
कृत मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में,

हरियाणा सरकार के सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं प्रधान सचिव।

क्रमांक:- 62/24/2016-6जी0एस01

दिनांक: चंडीगढ़ 8 जून, 2016

चौ० चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार  
कुलसचिव कार्यालय


DFA

क्रमांक न०.एडमन-आर-4/2016/ 406-525

दिनांक: 09.11.2016

मुख्य सचिव हरियाणा सरकार के पत्र क्रमांक न०.62/24/2016-6जी०एस०1 दिनांक 8-6-2016 की प्रति सभी अधिष्ठाताओं/निदेशकों/विभागाध्यक्षों/अनुभागों (बाहरी स्टेशनों सहित) चौ० चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार को कुलपति महोदय के आदेशानुसार इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि उपरोक्त हिंदीयतों की दृढ़तापूर्वक अनुपालना की जाए साथ ही हिन्दी का प्रयोग दैनिक कार्यों में बढ़ाने का प्रयास किया जाए।

2 दैनिक कार्य में प्रयोग होने वाले सभी फार्मों और आवेदन पत्रों का हिन्दी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में अनुवाद किया जाए ताकि आम जनता को इन्हें समझने में परेशानी का सामना ना करना पड़े और इसे विश्वविद्यालय के वेबसाइट पर अपलोड किया जाए।

  
कुलसचिव 9.11.16

- प्रति: 1 सलाहकार (भर्ती सैल), चौ० चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार से अनुरोध है कि गैरशिक्षक सम्बन्धित आवेदन फार्मों का हिन्दी में अनुवाद किया जाए।
- 2 वित्त नियन्त्रक, चौ० चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार से अनुरोध है कि वित्त नियन्त्रक कार्यालय से सम्बन्धित सभी फार्मों को हिन्दी में अनुवाद किया जाए।
- 3 सहायक कुलसचिव (शैक्षणिक) चौ० चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार से अनुरोध है कि विद्यार्थी के नामांकन से सम्बन्धित फार्म पहले हिन्दी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध करवाने के लिए शैक्षणिक परिषद के पास पुनर्विचार के लिए प्रस्ताव रखा जाए।